



जे.पी.डी.- 1142

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर-302005

दूरभाष : 0141-2740264, 2740381 विस्तार : 1436 फैक्स: 0141-2740264

Website: www.jaipurdiscom.com E-mail : caoia@jvvnI.in

क्र. जेपीडी/मु. ले. (आ. अं.)/ले. (नियम)/पत्रा. 143/प्रे. 4051

जयपुर, दिनांक: 15/12/2017

परिपत्र

विषय : निगम सेवा में नियमित पदोन्नति और आवश्यक अस्थायी रूप से पदोन्नति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

समन्वय समिति की दिनांक 12.07.2017 को आयोजित 5वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, पूर्व में आदेश संख्या जेपीडी/मु.ले.(आ.अं.)/ले. (नियम)/प. 143/प्रेषण 3520 दिनांक 26.12.2016 द्वारा उक्त विषय में प्रसारित परिपत्र के भाग संख्या-3 के बिन्दु संख्या - 10 को निम्न नवीन प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है।

10. वेतन स्थिरीकरण

“ आवश्यक अस्थायी पदोन्नति के आधार पर पदोन्नत होकर कार्यरत राजसेवक का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम- 24 के अन्तर्गत होगा लेकिन यदि पदोन्नत राजसेवक को अनुभव में छूट प्रदान की गयी हो तो उनको पूर्व पद के रनिंग पे-बैंड के वेतन के साथ पदोन्नत पद की ग्रेड-पे का लाभ देय होगा तथा मूल वेतन की 3 प्रतिशत राशि का लाभ पदोन्नत पद के लिये नियमों में विहित अवधि का पूर्ण अनुभव प्राप्त होने पर ही देय होगा। यदि राजसेवक को ए.सी.पी. नियमों के तहत उच्चतर ग्रेड-पे पहले से ही प्राप्त है तो ऐसे राजसेवक को आवश्यक अस्थायी आधार पर पदोन्नति पर कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा।”

उक्त संशोधन दिनांक 1-1-2007 से प्रभावी होगा। यह आदेश निदेशक मण्डल की स्वीकृति के अध्यक्षीन जारी किया जाता है।

आदेशानुसार


(आर.पी. गुप्ता)

मुख्य लेखाधिकारी (आ.अं)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियन्ता, (), जयपुर डिस्कॉम।
2. उप मुख्य अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
4. सचिव (प्रशासन)/कम्पनी सचिव, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी (वि.प्र. एवं मार्गो./राजस्व एवं नियंत्रण) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियन्ता (), जयपुर डिस्कॉम।
8. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी ()/उपनिदेशक कार्मिक (), जयपुर डिस्कॉम

10. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (), जयपुर डिस्कॉम।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
12. निजी सहायक, निदेशक (वित्त/तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।


सहायक लेखाधिकारी (नियम)